सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 04.07.2026

- **आपराधिक षडयंत्र के तहत की युवक की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,**
- **कब्जे से बिना नम्बर प्लेट की अपाचे मोटर साइकिल(मृतक की) बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना **सैफई पुलिस द्वारा** की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.07.2026 को वादी वंशीराम पुत्र शिशुपाल निवासी जहाँनपुर, थाना एका, जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना सैफई पर लिखित तहरीर दी गई कि उसका भाई कुलदीप पुत्र शिशुपाल दिनांक 16.06.2026 से लापता था, जिसके संबंध में थाना एका, जनपद फिरोजाबाद पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। दिनांक 29.06.2026 को परिजनों द्वारा थाना सैफई क्षेत्र में दिनांक 18.06.2026 को बरामद अज्ञात शव के फोटो एवं कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान कुलदीप के रूप में की गई। रंजीत यादव पुत्र करोरी सिंह, पिन्टू पुत्र पेजपाल तथा प्रशान्त यादव उर्फ तनू पुत्र राजीव कुमार द्वारा उसके भाई की हत्या कर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 138/2026 धारा 103(1)/238A/61(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन दिनांक 03/04.07.2026 की रात्रि को थाना सैफई पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत रकूईया नहर पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि थाना सैफई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2026 से सम्बन्धित अभियुक्त कहीं जाने की फिराक मे नगला बरी से टिमरूआ की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए रुकैया नहर पुल के पास अपाचे मोटर साइकिल पर सवार 02 अभियुक्त **पिन्टू पुत्र पेजपाल तथा प्रशान्त यादव उर्फ तनू पुत्र राजीव कुमार** को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके साथी रंजीत यादव के मृतक कुलदीप की पत्नी से संबंध होने के कारण मृतक एवं रंजीत यादव के मध्य काफी समय से विवाद एवं रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते हम तीनों ने मिलकर कुलदीप की हत्या करने की योजना बनाई। दिनांक 16.06.2026 को हम कुलदीप को अपने साथ ले गए तथा उसे अधिक मात्रा में शराब पिलाई। इसके उपरांत थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत सेंगर नदी के किनारे ग्राम लरखौर के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट की तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने एवं साक्ष्य नष्ट करने की नीयत से शव को गड्ढे में छिपाकर मौके से फरार हो गए तथा मृतक की मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। **अभियुक्तों के कब्जे से मृतक की बिना नम्बर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 138/2026 धारा 103(1)/238A/61(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पिन्टू पुत्र पेजपाल निवासी ग्राम मुरारमऊ थाना जसवन्त नगर इटावा **उम्र करीब 28 वर्ष।**
2. प्रशान्त यादव उर्फ तनू पुत्र राजीव कुमार निवासी खुशालपुर थाना सैफई इटावा **उम्र करीब 20 वर्ष।**

पुलिस टीम- प्रभारी निरी0 श्री भूपेन्द्र सिंह राठी थाना सैफई, उ0नि0 स्वदेश कुमार, उ0नि0 राकेश कुमार, का0 सुशील, का0 अनुराग, का0 महेश, का0 अंजनी।